बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

महत्वपूर्ण
फैक्स/ई-मेल

पत्रांक–प्र07–कि0आ0–02/2018– 3283 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/07/2018

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– जुलाई, 2018 के लिए किरासन तेल का उपावंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2018–19 के द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2018 के लिए कुल 79,152 के0एल0 किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है । भारत सरकार से यह भी निदेश प्राप्त हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक किरासन तेल के आवंटन का सम्पूर्ण उठाव उक्त मास की समाप्ति से पूर्व ही कर लिया जाय । अति विशिष्ट परिस्थितियों, यथा प्राकृतिक आपदा, इत्यादि की स्थिति में ही उपावंटन के विरूद्ध अवशेष तेल को अगले माह में अग्रगणित किया जा सकता है ।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक – 3276 दिनांक – 11.07.2018 के अनुरूप माह **जुलाई, 2018** के लिए सभी जिलों में किरासन तेल का उपावंटन संलग्न आवंटन तालिका के अनुसार किया जाता है।

3. जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अधियाचना के आलोक में छात्रावासों/लॉजों/मदरसों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में रहने वाले छात्रों को किरासन तेल की आपूर्ति हेतु मधुबनी जिला के लिए जिला सुरक्षित मद में अरवल जिला के जिला सुरक्षित मद की मात्रा काट कर 3791 लीटर अतिरिक्त किरासन तेल सहित कुल 7582 लीटर किरासन तेल का आवंटन किया जा रहा है ।

4. पटना जिला के लिए आवंटित किरासन तेल में सारण जिला के दिघवारा अन्तर्गत अकिलपुर पंचायत के 3598 ग्रामीण परिवारों, पटना हाई कोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स कॉ–ऑपरेटिव स्टोर के 4191 सदस्यों एवं दानापुर छावनी परिषद् के 10,220 परिवारों का भी आवंटन सम्मिलित है ।

5. ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती थानों में रोशनी के लिए आवंटित तेल को संबंधित जिलों के आरक्षी अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया जाय ।

6. सरकार द्वारा थोक विक्रेताओं को जिला स्तर से किरासन तेल आवंटित करने के निर्णय के आलोक में विस्तृत निदेश, विभागीय पत्रांक– 4030 दिनांक–26.07.2010 द्वारा उपलब्ध कराया गया है । उक्त निदेश के आलोक में थोक विक्रेताओं को किरासन तेल उपावंटित कर आवंटन आदेश की एक प्रति अविलम्ब जिलों से संबंधित आई0 ओ0 सी0/बी0 पी0 सी0 एल0 /एच0 पी0 सी0 एल0 के डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर/एरिया मार्केटिंग मैनेजर तथा राज्य स्तरीय संयोजक –सह– महाप्रबंधक, आई0ओ0सी0 पटना को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि तेल कंपनियाँ ससमय आवंटित मात्रा विमुक्त कर सके ।

7. थोक विक्रेताओं का आवंटन निर्धारित करते समय जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं के व्यापक हित एवं भौगोलिक अवस्थिति तथा थोक विक्रेताओं की भंडारण क्षमता आदि को ध्यान में रखा जाय ।

अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक – 1871 दिनांक – 13.07.05 द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्धारित अवधि अन्तर्गत किरासन तेल का उठाव कराना सुनिश्चित किया जाय । वितरण के उपरान्त **2 अगस्त, 2018** तक निश्चित रूप से विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय । साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिलों को उपावंटित किरासन तेल में से वितरित एवं अवशेष किरासन तेल की मात्रा विहित प्रपत्र में POIMS Website पर अपलोड किया जाय।

विश्वासभाजन,
Sd/- 12/7
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कि0आ0–02/2018– 3283 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/07/2018
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

Sd/- 12/7/XVIII
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कि0आ0–02/2018– 3283 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/07/2018
प्रतिलिपि– राज्य स्तरीय संयोजक –सह– महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम, लोक नायक जय प्रकाश भवन, डाक बंगला चौक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि संलग्न जिलावार उपावंटन सूची के अनुरूप जिलावार तेल कंपनी का कोटा निर्धारित कर सभी जिलों एवं विभाग को उसकी एक प्रति उपलब्ध करायी जाय तथा जिलों द्वारा थोक विक्रेताओं को उपावंटित किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय ।

Sd/- 12/7/XVIII
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कि0आ0–02/2018– 3283 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/07/2018
प्रतिलिपि– पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 12/7/XVIII
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कि0आ0–02/2018– 3283 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/07/2018
प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी (वितरण), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

Sd/- 12/7/XVIII
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कि0आ0–02/2018– 3283 खाद्य, पटना/दिनांक– 12/07/2018
प्रतिलिपि– प्रदेश महामंत्री, बिहार प्रदेश, जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, लड्डु अखाड़ा, गायघाट, पटना–07/प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राईस डीलर्स एसोसियेशन, प्रधान कार्यालय, भिखना पहाड़ी, पटना – 04 को सूचनार्थ प्रेषित ।

Sd/- 12/7/XVIII
सरकार के अपर सचिव।

माह जुलाई, 2018 के लिए जिलावार मासिक किरासन तेल उपावंटन तालिका

क्र0	जिला का नाम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामीण परिवारों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों हेतु 1.50 लीटर प्रति परिवार की दर से किरासन तेल की देय मात्रा (ली0)	Non-NFSA ग्रामीण परिवारों की संख्या	Non-NFSA ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार 1.50 लीटर की दर से किरासन तेल की देय मात्रा	ठेला भेंडरों की संख्या	ठेला भेंडर को देय मात्रा (400 ली0 प्रति ठेला भेंडर)	ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती थानों के लिए देय मात्रा (लीटर में)	जिला सुरक्षित मद में देय मात्रा (लीटर में)	कुल अनुमान्य किरासन तेल की देय मात्रा (लीटर में) (4+6+8+9+10)	जिलों द्वारा अतिरिक्त आवंटन सहित अवशेष किरासन तेल की प्रतिवेदित मात्रा (लीटर में)	आवंटित कि0 तेल की मात्रा लीटर में (11–12)	आवंटित कि0 तेल की मात्रा टैंक लौरी में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना	535198	802797	159250	238875	595	238000	4764	7088	1291524	154934.67	1136589	95
2	नालन्दा	310111	465167	152727	229091	69	27600	2481	4550	728888	42763.00	686125	57
3	भोजपुर	297181	445772	122460	183690	22	8800	2912	5308	646482	36655.75	609826	51
4	बक्सर	146628	219942	91582	137373	33	13200	1429	3791	375735	35956.10	339779	28
5	रोहतास	276865	415298	132989	199484	195	78000	2473	3791	699045	15915.00	683130	57
6	कैमूर	163303	244955	78213	117320	28	11200	1643	3791	378908	24771.00	354137	30
7	गया	514790	772185	144225	216338	124	49600	3117	6067	1047307	70574.53	976732	81
8	जहानाबाद	114202	171303	50722	76083	51	20400	821	3791	272398	31121.80	241276	20
9	अरवल	85469	128204	31175	46763	12	4800	821	0	180587	15950.00	164637	14
10	नवादा	255420	383130	94318	141477	168	67200	1848	3791	597446	30630.00	566816	47
11	औरंगाबाद	275474	413211	91424	137136	39	15600	2612	3791	572350	34567.05	537783	45
12	सारण	432787	649181	141361	212042	81	32400	1528	5308	900458	49466.00	850992	71
13	सीवान	379548	569322	139500	209250	60	24000	1733	3791	808096	36124.47	771972	64
14	गोपालगंज	281225	421838	108674	163011	0	0	1261	3791	589901	37000.00	552901	46
15	मुजफ्फरपुर	752349	1128524	123992	185988	105	42000	2440	6067	1365019	26864.50	1338154	112
16	सीतामढी	646128	969192	79595	119393	21	8400	1741	3791	1102517	46642.40	1055874	88
17	शिवहर	132614	198921	16597	24896	18	7200	563	3791	235371	45805.05	189565	16
18	पू0 चम्पारण	765484	1148226	152306	228459	94	37600	2830	3791	1420906	62019.00	1358887	113
19	प0 चम्पारण	585622	878433	95704	143556	54	21600	3421	3791	1050801	60595.67	990205	83
20	वैशाली	547343	821015	82607	123911	60	24000	1778	3791	974494	30778.00	943716	79
21	दरभंगा	741309	1111964	75855	113783	103	41200	1881	6067	1274894	39745.51	1235148	103
22	मधुबनी	773033	1159550	113777	170666	22	8800	2008	7582	1348605	45538.00	1303067	109
23	समस्तीपुर	740764	1111146	90265	135398	105	42000	1651	3791	1293986	82673.40	1211312	101

क्र०	जिला का नाम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामीण परिवारों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों हेतु 1.50 लीटर प्रति परिवार की दर से किरासन तेल की देय मात्रा (ली०)	Non-NFSA ग्रामीण परिवारों की संख्या	Non-NFSA ग्रामीण परिवारों को प्रति परिवार 1.50 लीटर की दर से किरासन तेल की देय मात्रा	ठेला भेंडरों की संख्या	ठेला भेंडर को देय मात्रा (400 ली० प्रति ठेला भेंडर)	ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती थानों के लिए देय मात्रा (लीटर में)	जिला सुरक्षित मद में देय मात्रा (लीटर में)	कुल अनुमान्य किरासन तेल की देय मात्रा (लीटर में) (4+6+8+9+10)	जिलों द्वारा अतिरिक्त आवंटन सहित अवशेष किरासन तेल की प्रतिवेदित मात्रा (लीटर में)	आवंटित कि० तेल की मात्रा लीटर में (11-12)	आवंटित कि० तेल की मात्रा टैंक लौरी में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	मुंगेर	168838	253257	32395	48593	16	6400	957	4550	313757	32890.66	280866	23
25	लखीसराय	109163	163745	32121	48182	39	15600	542	3791	231859	16462.00	215397	18
26	जमुई	243244	364866	49426	74139	17	6800	1019	3791	450615	102576.40	348039	29
27	शेखपुरा	65539	98309	26308	39462	44	17600	443	3791	159605	23714.00	135891	11
28	बेगूसराय	444941	667412	56766	85149	0	0	1729	4550	758840	24000.00	734840	61
29	खगड़िया	310614	465921	37310	55965	40	16000	706	3791	542383	44316.15	498067	42
30	सहरसा	316042	474063	35112	52668	276	110400	805	4550	642486	28543.50	613943	51
31	मधेपुरा	359547	539321	42867	64301	124	49600	850	4550	658621	48709.20	609912	51
32	सुपौल	397414	596121	57866	86799	66	26400	838	3791	713949	25200.00	688749	57
33	पूर्णिया	536761	805142	55175	82763	107	42800	936	4550	936190	64639.00	871551	73
34	किशनगंज	280036	420054	28953	43430	57	22800	887	3791	490962	27000.00	463962	39
35	अररिया	544487	816731	51347	77021	151	60400	789	3791	958731	96203.60	862527	72
36	कटिहार	526142	789213	55947	83921	173	69200	941	4550	947825	24000.00	923825	77
37	भागलपुर	387017	580526	81338	122007	146	58400	1943	6067	768943	102803.60	666139	56
38	बांका	333482	500223	50973	76460	2	800	969	3791	582243	45589.55	536653	45
	कुल :-	**14776114**	**22164171**	**3063222**	**4594833**	**3317**	**1326800**	**62110**	**164806**	**28312720**	**1763738.56**	**26548981**	**2215**